


1075

#1354

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर कपासन जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान  
खाता / इन्दाज दुरुस्ती आवेदन पत्र / रिपोर्ट / आदेश / राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत

प्रार्थना पत्र क्रमांक	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील	प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
058	136	तुर्किया	कपासन	इशाक खान पुत्र गनी खान	
दायर दिनांक	निर्णय दिनांक	दााखिला दफ्तर	पृष्ठ संख्या	आदेश	कार्यवाही विवरण



आवेदन पत्र	पटवारी रिपोर्ट	गिरदावर रिपोर्ट	तहसीलदार रिपोर्ट	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर कपासन आदेश
------------	----------------	-----------------	------------------	--

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन  
विषय - राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में  
महोदय (तुर्किया खान) पुत्र गनी खान जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 20 में नाम / जाति इशाक खान के दजाय इशाक खान पुत्र गनी खान दर्ज करवाने का आदेश फरमावे।

ग्राम तुर्किया खान हल्का ...  
तुर्किया खान की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 20 में इशाक मोहम्मद पुत्र गनी मोहम्मद के दजाय इशाक खान पुत्र गनी खान दर्ज किया जाना उचित होगा।

रिपोर्ट पटवारी अनुसार खाता संख्या 20 में इशाक मोहम्मद पुत्र गनी मोहम्मद के दजाय इशाक खान पुत्र गनी खान दर्ज किया जाना उचित है।

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र अनुसार, रिपोर्ट पटवारी एवं जांच गिरदावर एवं तहसीलदार की अनुशासन के आधार पर राज0 भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अधधीन मोजा तुर्किया खान पुत्र गनी खान पटवार मण्डल तुर्किया खान तहसील कपासन की जमाबन्दी संवत् 2074 -2077 के खाता संख्या 20 में दर्ज प्रविष्टी को निम्नानुसार शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरांमद करने का आदेश दिया जाता है।

ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश अनुसार प्रविष्टि (शुद्ध प्रविष्टि)
तुर्किया खान	20	इशाक मोहम्मद पुत्र गनी मोहम्मद	इशाक खान पुत्र गनी खान

हस्ताक्षर प्रार्थी  
इशाक  
1568761423

हस्ताक्षर पटवारी मय मोहर  
10/10/2024  
पटवार मण्डल तुर्किया खान  
तहसील कपासन  
जिला चित्तौड़गढ़ राज

हस्ताक्षर गिरदावर

हस्ताक्षर तहसीलदार मय मोहर

तहसीलदार (भू.अ.)  
तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपी :- 1. तहसीलदार कपासन 2. प्रार्थी

सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी  
कपासन जिला चित्तौड़गढ़